S.C. 08
30/04/15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ________/OF 2015

Gajendra Prasad Yadav .... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar & Others ..... **Respondents**

Sub: **P.D.S Matter**

INDEX

Sl. No.	Description of papers	Page No.
1.	Synopsis	
2.	Civil Writ Application	.... 1 to 9
3.	Annexure 1: Photo Copy of letter dt. 22/8/2007	10
4.	Annexure 2: Photo Copy of Reply dt.7/10/2013.........	11
5.	Annexure 3: Photo Copy of Reply dt. 12/11/2013.....	12
6.	Annexure 4: Photo Copy of Report dt. 30/6/2014.....	13-14
7.	Annexure 5: Photo Copy of Order dt. 3/7/2014........	15-18
8.	Annexure 6: Photo Copy of order dated 30.1.2015/23.2.2015	19-19
9.	**VAKALATNAMA**	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ________/OF 2015

Gajendra Prasad Yadav .... **Petitioner**

Versus

The State of Bihar & Others ..... **Respondents**

SYNOPSIS

Petitioner was running Public Distribution System shop from 1994 fresh dealership was allotted on 22/8/2007 on the recommendation of Block Supply Officer Murliganj, S.D.M Madhepura issued 1st show cause notice, reply of 1st show cause notice was given by the petitioner, dissatisfied with reply of first show cause, second show cause notice issued to the petitioner, reply to second show cause notice was given, thereafter a joint team of Block Development Officer Murliganj and Block Supply Officer Kumar Khand was constituted by the S.D.M Madhepura. Joint team reported to S.D.M Madhepura, no show cause notice was served by the Joint Committee to the petitioner nor he has been given opportunity to be heard. S.D.M Madhepura cancelled the dealership of P.D.S shop of the petitioner, which was challenged before learned District Magistrate, Madhepura. The learned District Magistrate Madhepura rejected the appeal of the petitioner.

22/8/2007: Fresh P.D.S Shop allotted to the petitioner.

(Annexure 1.

7/10/2013: Reply to the 1st Show Cause notice issued by S.D.O Madhepura. (Annexure 2)

12/11/2013: Reply to Second Show Cause notice issued by S.D.M Madhepura. (Annexure 3)

30/6/2014: Joint Committee report of B.D.O Murliganj and Block Supply Officer Kumarkhand. (Annexure 4)

3/7/2014: P.D.S Shop cancelled by S.D.O Madhepura. (Annexure 5)

30/1/2015 &: Appeal of the petitioner before D.M.

23/2/2015: Madhepura which was rejected. (Annexure 6)

Hence this Writ application.

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
PATNA SCORE PATNA
COURT FEE
Authorization No. 2674

भारत
INDIA

STAMP DUTY
00000
Rs. 0000285
28.4.2015
375448
BIHAR
Zero*Zero*Zero*Zero*TwoEightFive***
8548 6387308

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. _________/OF 2015

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

And

In the matter of

Gajendra Prasad Yadav Son of Late Munni Lal Yadav

Resident of Village Pratap Nagar Rani, P.S and Anchal Murliganj,

District Madhepura

.... **Petitioner**

Versus

1. The State of Bihar through the Secretary,

   Food and Civil Supply, Bihar, Patna

2. The District Magistrate, Madhepura

3. The Sub Divisional Officer, Madhepura

4. The District Supply Officer, Madhepura

5. The Block Supply Officer, Madhepura

..... **Respondents**

To,

The Hon'ble Mr. Justice L.Narasimha Reddy the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and Her Companion Justices of the said Hon'ble Court.

The Humble Petition on behalf of the petitioner named above

Most Respectfully Sheweth:-

1. That the present Writ application has been filed with prayer for grant of following reliefs:-

I) For issuance of an order, direction or writ including Writ in the nature of Certiorari for quashing the order dated 30.1.2015/ 23.2.2015 passed in Appeal Case No. 9/2014 by the learned District Magistrate Madhepura whereby

he rejected the Appeal filed by the petitioner against the order dated 03/7/2014 passed by Supply Officer cum Sub Divisional Officer Madhepura whereby he cancelled the P.D.S of the petitioner.

II) For issuance of an order, direction or writ including writ in the nature of Certiorari for quashing the order dated 3/7/2014 whereby the learned Supply Officer cum Sub Divisional Officer cancelled the P.D.S of the petitioner.

III) For issuance of an order, direction or writ including writ in the nature of mandamus directing the respondent concern to reinstate the P.D.S of the petitioner.

IV) For any other relief or reliefs for that the petitioner may be found to be entitled in the facts of the present case.

2. That the present Writ application based on the following main grounds:-

A) For that the P.D.S (Public Distribution Shop) of the petitioner was allotted on 22/8/2007.

B) For that since 1994 he is running P.D.S shop there was no complain against the petitioner by the Consumers of P.D.S.

C) For that the P.D.S of the petitioner was cancelled by the respondents with connivance of each other only to harass him without on substantial material.

D) For that the allegation levelled in Show Cause is false and concocted.

E) For that his P.D.S was cancelled by the respondent on the instance of his enemy with connivance of respondent under village politics.

3. That the petitioner is the citizen of India resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

4. That the Public Distribution Shop (P.D.S was allotted to the petitioner on 22/8/2007 vide Dealership No. 164/2007.

Photo Copy of the letter dated 22/8/2007 is annexed herewith and marked as Annexure 1 to this Writ application.

5. That through letter dated 1/10/2013 vide Memo No. 381 a Show Cause was issued by the S.D.M Madhepura pursuant to the report of Block Supply Officer Murliganj to the petitioner.

6. That pursuant to the order dated 1/10/2013 a reply of Show Cause was given by the petitioner on 7/10/2013 whereby he gave reason for non availability of measurement equipment on the P.D.S on the relevant time.

Photo Copy of the Reply of the Show Cause dated 7/10/2013 is annexed herewith and marked as Annexure 2 to this application.

7. That the S.D.M Madhepura issued second Show Cause notice to the petitioner vide Memo No. 428 dated 19/10/2013.

8. That the petitioner giving reference to the reply of first Show Cause submitted reply of second Show cause notice ono 12/11/2013.

Photo Copy of the Reply of the Second Show Cause dated 12/11/2013 is annexed herewith and marked as Annexure 3 to this application.

9. That a joint Committee of Block Development Officer Murliganj and Block Supply Officer Kumar-Khand was

constituted by the Sub Divisiional Officer Madhepura by letter dated 27/6/2014.

10. That the joint report of B.D.O Murliganj and Block Supply Officer Kumar Khand was submitted on 30/6/2014 to Sub Divisional Officer Madhepura.

Photo Copy of the Joint Report dated 30/6/2014 is annexed herewith and marked as Annexure 4 to this application.

11. That after perusal of the joint report it would appear that the report was imaginary prepared as table work, no show cause served to the petitioner.

12. That on 3/7/2014 the Sub Divisional Officer, Madhepura cancelled the P.D.S of the petitioner without giving him opportunity to be heard after joint committee report.

Photo Copy of the Cancellation order dated 3/7/2014 is annexed herewith and marked as Annexure 5 to this application.

13. That the petitioner filed Appeal Case No. 9/2014 before learned District Magistrate Madhepura, against the cancellation

order of P.D.S dated 3/7/2014 passed by S.D.M Madhepura, which was assailed the order passed by the S.D.M Madhepura and rejected his Appeal on 30.1.2015/ 23.2.2015.

Photo Copy of the order dated 30.1.2015/ 23.2.2015 is annexed herewith and marked as Annexure 6 to this application.

14. That the appellate authority without going into the substantial reason placed by the petitioner as show cause, confirm the cancellation order passed by the S.D.M Madhepura.

15. That the petitioner has no other remedy equally efficacious and speedy remedy than by way of instant Writ application.

16. That no such application by or on behalf of the petitioner aforesaid has been preferred before this Hon'ble Court earlier for aforesaid reliefs

Thus in the facts and circumstances of the Case Your Lordships may graciously be pleased to issue notice to the parties call for

records if require, and after hearing the party or parties who may choose to appear and allow the petition of the petitioner prayer made in Paragraph 1

And/or

Pass such other order or orders as Your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Gajendra Prasad Yadav aged about 55 Years Son of Late Munni Lal Yadav Resident of Village Pratap Nagar Rani, P.S and Anchal Murliganj, District Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows

1. That I am petitioner in this case and am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same.

3. That the Statements made in Paragraph Nos.1 to 19 are true to my Knowledge and rest are by way of submissions to this Hon'ble Court.

4. That the annexures are photo and typed copy of its originals.

Ammonium 10

प्रपत्र-II

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अन्तर्गत

CL - 14/93 **उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञा-पत्र**

अनुज्ञप्ति संख्या 164/2007

चालान संख्या 28 तारीख 22-08-07

अनुज्ञप्तिधारी का नाम गजेन्द्र प्रसाद यादव

पिता/पति का नाम स्व० मुन्नी लाल यादव

पता प्रतापनगर रजनी थाना मुरलीगंज जिला- मधेपुरा

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001' के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अधीन श्री गजेन्द्र प्रसाद यादव को जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और संवितरण को नियमित करने के लिये आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थान पर करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

भंडारण स्थान का विवरण :-

(क) खाता 213/1346 खेसरा 824/1180 होल्डिंग नं0

(ख) दुकान का क्षेत्रफल 12'x12'

(ग) दुकान का विवरण पक्का मकान

(घ) पता ग्राम- प्रतापनगर रजनी थाना- मुरलीगंज जिला- मधेपुरा

(ड़) दुकान की चौहद्दी उ० [illegible] प्रसाद द० भुवनेश्वर यादव पू० रामचन्द्र साह प० सड़क

(च) दुकान किराये पर है तो दुकान मालिक का नाम एवं पता

2. आवश्यक वस्तुओं का विवरण :-
   (क) खाद्यान्न
   (ख) खाद्य तेल
   (ग) किरासन तेल
   (घ) चीनी
   (ड़) कपड़ा
   (च) अन्य वस्तुऐं
3. (क) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में भंडार और बिक्री पंजी संधारित करेगा। क्रमांक-2 में वर्णित आवश्यक वस्तु का मात्रा पंजिगों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा।
   (i) खाद्यान्न-क्विंटल या किलो ग्राम में
   (ii) खाद्यान्न तेल/किरासन तेल-लीटर में
   (ख) अनुज्ञप्तिधारी भंडार पंजी में सभी प्रविष्टियाँ अगले दिन दुकान खुलने के पूर्व निश्चित रूप से कर लेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी राजपत्रित अवकाश/साप्ताहिक बंदी के दिनों को छोड़कर, प्रतिदिन दुकान खोलेगा तथा 'सूचना पट' दुकान के बाहर एवं 'मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट' दुकान के अन्दर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
   'सूचना पट' परिशिष्ट-1 के अनुसार तथा मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट 'परिशिष्ट-2' के अनुसार बनायेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के सम्बद्ध बी0पी0एल अन्त्योदय और अन्नपूर्णा लाभान्वितों की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर वितरण करेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी, आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित कीमत से उच्चतर कीमत पर सम्बद्ध उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा।

Annexure 2 11 42

सेवा में,

श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधेपुरा।

विषय :— स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :— आपका ज्ञापांक 381, दिनांक 01.10.13.

महाशय,

भवदीय प्रासंगिक पत्र द्वारा श्रीमान् प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पत्रांक–61, दिनांक 19.09.2013 के द्वारा प्रतिवेदित विन्दुओं पर पूछे गये स्पष्टीकरण के संबंध में विनयपूर्वक कहना है कि दिनांक 19.09.2013 को अन्त्योदय, बी0पी0एल0 के गेहूँ का उठाव किया था। सामान ट्रेक्टर से दुकान तक पहुँच ही रहा था कि गाड़ी फंस जाने की वजह से विलम्बित था। इसी बीच श्रीमान प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय मेरे परिसर पर पहुँचे। मेरी दुकान खुली थी पर सामानों की विक्री बंद थी, क्योंकि गुदाम पहुँचने वाले सामानों का अन्तजार किया जा रहा था। अतः दुकान का सूचना पट एवं वितरण पंजी संधारित नहीं था। जब भंडार में सामान आ जाता तभी तो विक्री होती और वितरण पंजी संधारित होता। उक्त तिथि को भंडार में सामान रखने की कार्रवाई चल रही थी, वितरण नहीं होना था। अतः तराजू–बटखारा आदि धोकर सूखने की लिये मेरे पारिवारिक सदस्यों द्वारा घर में रखा था, इसी वजह से वह दुकान में उपलब्ध नहीं था।

श्रीमान् जहाँतक मेरे व्यवहार कुशल नहीं होने के सम्बन्ध में मान्य प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, इस सम्बन्ध में विनयपूर्वक कहना है कि श्रीमान् वर्ष 1994 से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति धारण कर जनता की सेवा कर रहा हूँ और उनकी संतुष्टि के अनुरूप सेवा कर रहा हूँ, कभी किसी उपभोक्ता को कोई शिकायत का मौका मैंने अपने व्यवहार से नहीं दिया, परन्तु यह समझ में नहीं आता है कि किस अवांछित तत्व ने मान्य प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय को मेरे विरूद्ध शिकायत किया है। फिर भी मैं श्रीमान् को आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में ऐसी शिकायत नहीं सुनने को मिलेगा।

विश्वासभाजन,

गजेन्द्र य0 7.10.13

(गजेन्द्र यादव)
सा0 वि0 प्र0 वि0 रजनी,
प्रखण्ड– मुरलीगंज
7.10.13

Annexure 3 12 A/3

सेवा में,

श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी,
मधेपुरा।

विषय :— द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने के संबंध में।
प्रसंग :— श्रीमान् का पत्रांक 428, दिनांक 19.10.13.

महाशय,

निवेदन है कि मैंने अपने द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में लिखा था कि दिनांक 19.09.13 को अन्त्योदय, बी0पी0एल0 के गेहूँ का उठाव किया था। सामान ट्रैक्टर से दुकान तक पहुँच हीं रहा था कि गाड़ी फंस जाने के कारण विलम्बित था। इसी बीच श्रीमान् प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय मेरे परिसर पर पहुँचे। मेरी दुकान खुली थी पर सामानों की बिक्री बंद थी क्योंकि गुदाम पहुँचने वाले सामान का इन्तजार किया जा रहा था। अतः दुकान का सूचनापट एवं वितरण पंजी संधारित नहीं था। जब भंडार में सामान आ जाता तभी तो बिक्री होती और वितरण पंजी संधारित होता।

महोदय, मेरे उपर्युक्त स्पष्टीकरण, जो मैंने श्रीमान् को समर्पित किया था, उसमें मेरा तात्पर्य यह कहना था कि उक्त तिथि को बिक्री बंद रहने से हीं सूचनापट और बिक्री पंजी, बिक्री नहीं होने की वजह से संधारित नहीं था। मेरा यह कहना नहीं था कि मैंने कभी बिक्री पंजी संधारित हीं नहीं किया था। मैंने उसी दिन अनाज का उठाव किया था और सामान परिवहन होकर मेरी दुकान पहुँचने हीं वाला था। किन्तु, रास्ते में ट्रेक्टर फंस जाने से थोड़ा विलम्ब था इसी बीच श्रीमान् प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय मेरी दुकान पर पहुँचे और दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने मेरा भंडार पंजी भी देखा और उस पर अपनी मनचाही टिप्पणी भी दर्ज की थी जो मैं अभी भी श्रीमान् को दिखलाने साथ लाया हूँ। श्रीमान् उसे स्वयं देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। मेरा भंडार कई दिनों से खाली था। जब मेरे भंडार में सामान पहुँचता, बिक्री होती, तभी तो बिक्री पंजी संधारित होती। पूर्व का वितरण पंजी भी साथ लाया हूँ। श्रीमान् उसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं।

श्रीमान् उक्त निरीक्षण तिथि के पूर्व मैंने माह अगस्त 13 के अनाज का उठाव किया था और उसका वितरण कर कूपन भी जमा कर चुका हूँ। कूपन जमा करने संबंधी रसीद की छायाप्रति श्रीमान् के अवलोकन हेतु संलग्न है।

महाशय, मैंने कभी सरकारी अनाज की कालाबाजारी नहीं की है और न कभी मेरे विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा इस तरह का आरोप लगाया गया है।

मात्र श्रीमान् प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी महोदय के प्रतिवेदन के आधार पर मेरे आचरण पर जो शक किया जा रहा है, उससे मुझे बरी करने की कृपा की जाय। अगर श्रीमान् मेरे उपर्युक्त स्पष्टीकरण से फिर भी असंतुष्ट हों तो कृपा कर किन्हीं भी पदाधिकारी से मेरे स्पष्टीकरण की सत्यता की जाँच करवा कर संतुष्ट हुआ जा सकता है।

मेरी प्रार्थना है कि मेरे उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक दया किया जाय।

तिथि : 12·11·13

विश्वासभाजन
गजेन्द्र यादव
(गजेन्द्र यादव)
सा0 वि0 प्र0 वि0,
रजनी, मुरलीगंज।

[illegible] 30/16

सेवा में, अनुज्ञापन पदाधिकारी, [illegible]

विषय :- [illegible] जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में [illegible] दिनांक [illegible] 14

प्रसंग :- [illegible] पत्रांक 192-3 दिनांक 27 [illegible]

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री राजेन्द्र प्र० यादव जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत [illegible] प्रखंड मुरलीगंज के विरुद्ध प्राप्त आरोप [illegible] की जाँच की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है —

जन वितरण प्रणाली विक्रेता [illegible] अनुज्ञप्ति संख्या - 164/07 के दुकान की जाँच की गई जिसके बाद 14 अप्रैल 2014 को [illegible] का [illegible] किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दुकान के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नहीं था। [illegible] [illegible] नहीं था।

[illegible]

[illegible]

14 — इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को ... देना है कि लाभार्थियों को खाद्यान्न नहीं मिलता है, राशन पोस्ट अनुचित दर विक्रेता ... करता है। कुछ लाभार्थियों के हिस्से का खाद्यान्न नहीं दे रहा है।

अन्त में उपभोक्ता जाँच से

क्रम में यह निष्कर्ष पर आते हैं कि प्रकरण में ... के द्वारा भारी अनियमितता की गई है। विभागीय आदेश की अवहेलना की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का भी उल्लंघन किया गया है।

अतः भारी अनियमितता के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाना है।

30/6/14

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी
मुरलीगंज

... 30/6/14

प्रखण्ड विकास पदा.
मुरलीगंज

एनेक्चर-4 I.C

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी

मधेपुरा।

विषय- **संयुक्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।**

दिनांक-30.06.14

प्रसंग- भवदीय ज्ञापांक-1922 दिनांक-27 जून 14

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के आलोक में श्री राजेन्द्र प्र0 यादव जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत रजनी प्रखंड-मुरलीगंज के विरूद्ध प्राप्त अनियमितता की जाँच की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

जन वितरण प्रणाली विक्रेता गजेन्द्र यादव अनुज्ञप्ति संख्या-164/07 के दुकान की जाँच की गई जिसमें मार्च एवं अप्रैल 2014 का खाद्यान का उठाव किया है। भैतिक सत्यापन के लिए पंजी एवं वितरण की मांग की गई विक्रेता देने से इन्कार कर गया वे शराब का सेवन किये हुए था कुछ ही देर के बाद स्थल से गायव हो गया। दुकान के भंडार का निरीक्षण किया सूचना पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। भंडार के खाद्यान भी नहीं था।

उपभोक्ताओं से सम्पर्क किया गया जिसमें आठ उपभोक्ता द्वारा वयान दिया गया जो संलग्न है।

दूसरें टोला में उपभोकताओं के स्वर में कहा कि हमलोगों को राजेन्द्र डीलर से बंटी रूप में खाद्यान नहीं मिलता है। शराब पीकर अनुचित शब्द का भी व्यवहार करता

है। कुछ लाभार्थी ने कहा कि मुझे काहे है पर खाद्यान नहीं दे रहा है।

अन्त मैं हमलोग जाँच के क्रम में इस निष्कर्ष पर आये कि जन वितरण प्रा० के राजेन्द्र प्र० यादव के द्वारा भारी अनियमितता बरते गई है। विभागीय आदेश की अवलेलना की गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का भी उलंघन किया गया है।

अतः पायी गई अनियमिता के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन

ह0/–अस्पष्ट	ह0/–अस्पष्ट
30.06.14	30.06.14
प्रखंड आपूर्तित पदा0	प्रखंड विकास पदा0
कुमार खाद्य	मुरलीगंज।

Annexure-5 15 A-5

अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

(आपूर्ति शाखा)

आदेश

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मुरलीगंज के पत्रांक 61 दिनांक 19.09.13 द्वारा श्री गजेन्द्र यादव, सा0वि0प्र0 विक्रेता रजनी, प्रखंड-मुरलीगंज के दुकान की जांच की गयी जिसमें निम्न अनियमितता पायी गयी-

(i) सूचना पट्ट एवं भंडार मूल्य प्रदर्शन तालिका संधारित नहीं था।

(ii) वितरण पंजी संधारित नहीं था।

(iii) उठाव किये गये खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया था।

(iv) दुकान में तराजु एवं बटखारा का नहीं पाया जाना।

(v) उपभोक्ता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं पाया गया।

प्र0आ0पदा0 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 381/आ0 दिनांक 01/10/13 द्वारा श्री गजेन्द्र यादव से कारण पृच्छा की मांग की गयी।

श्री गजेन्द्र यादव, सा0वि0प्र0 विक्रेता द्वारा दिनाक 07/10/13 को अपने प्रथम कारण पृच्छा में गाड़ी का सड़क में फंस जाने के कारण दुकान पर खाद्यान्न का भंडार शून्य होना तथा उसी दरम्यान प्र0आ0पदा0 द्वारा जांच के लिए उपस्थित होना दर्शाया है तथा अवांछित तत्वों द्वारा प्र0आ0पदा0 को शिकायत होना प्रतिवेदित किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टया भ्रामक एवं असत्य प्रतीत होने के फलस्वरुप इस कार्यालय के ज्ञापांक 428-2 दिनांक 19/10/13 द्वारा विक्रेता से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

दिनांक 12/11/13 ~~को~~ श्री गजेन्द्र यादव द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में प्रतिवेदित बयानों की पुनरावृति की गयी और कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के उपरान्त उनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा के पत्रांक 892/आ0 दिनांक 26/09/13 द्वारा भी श्री गजेन्द्र यादव ज0वि0प्र0 विक्रेता पंचायत-रजनी प्रखंड-मुरलीगंज को प्र0आ0पदा0 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में अनुज्ञप्ति रदद् करने का आदेश दिया गया।

प्र0आ0पदा0 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन, विक्रेता द्वारा प्राप्त कारण पृच्छा एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 499 दिनांक 20/11/13 द्वारा प्र0वि0पदा0 मुरलीगंज एवं प्र0आ0पदा0 कुमारखंड से संयुक्त जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

प्र0वि0पदा0/प्र0आ0पदा0 द्वारा समर्पित संयुक्त जांच प्रतिवेदन पत्रांक 585 दिनांक 30/06/14 में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री गजेन्द्र यादव विक्रेता द्वारा भारी अनियमितता बरती गयी है, विभागीय आदेश की अवहेलना की गयी है एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का भी उल्लंघन किया गया है।

प्र0आ0पदा0 मुरलीगंज ने अपने पत्रांक 98 दिनांक 27/06/14 द्वारा माननीय सांसद महोदय के समक्ष मो0 सईम पति-मो0 इलियास को पी0एच0एच0 राशन कार्ड पर कम खाद्यान्न की शिकायत की जांच की गयी, जो जांचोपरान्त सत्य पाया गया।

16

अतः प्र0आ0पदा0 मुरलीगंज के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन, विक्रेता से प्राप्त कारण पृच्छा, प्र0वि0पदा0 मुरलीगंज द्वारा प्राप्त संयुक्त जांच प्रतिवेदन एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में सा0वि0प्र0 नियंत्रण आदेश 2011 की कंडिका 7(ii) में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री गजेन्द्र यादव, सा0वि0प्र0 विक्रेता ग्राम पंचायत-रजनी प्रखंड-मुरलीगंज की अनुज्ञप्ति सं0-164/07 को रदद् किया जाता है।

प्र0आ0पदा0 मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे रदद् विक्रेता के दुकान में यदि खाद्यान्न/किरासन तेल वितरण हेतु अवशेष है तो उन्हें उनके दुकान से संबद्ध उपभोक्ता के बीच निर्धारित दर एवं मात्रा में वितरित कराकर प्राप्त राशि रदद् अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को संसूचित करेंगे। साथ ही प्र0आ0पदा0 मुरलीगंज को यह भी आदेश दिया जाता है कि वे रदद् विक्रेता श्री गजेन्द्र यादव के उपभोक्ताओं को निकटम एवं सक्षम सा0वि0प्र0 विक्रेता के साथ सम्बद्ध करने का प्रस्ताव अविलंब अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 903-2 / दिनांक 5/7/14/

प्रतिलिपिः- श्री गजेन्द्र यादव सा0वि0प्र0 विक्रेता ग्राम पंचायत-रजनी प्रखण्ड-मुरलीगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्र0आ0पदा0 मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- थोक किरासन तेल विक्रेता मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
मधेपुरा।
3/7/14 3/7/14

Annexure 6 17 A/6

आदेश का क्र0सं0/ ता0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
01.	02.	03.
	न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति अपील वाद सं0-09/2014 गजेन्द्र प्र0 यादव बनाम राज्य एवं अन्य -: आदेश :-	
30.01.2015 23/02/2015	प्रश्नगत अपील वाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2001 की धारा-03 के अन्तर्गत अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 03-07-2014 को अनुज्ञप्ति सं0-164/2007 को रद्द कर दिए जाने के खिलाफ श्री गजेन्द्र प्र0 यादव पे0 स्व0 मुन्नीलाल यादव सा0 प्रतापनगर रजनी, थाना+अंचल मुरलीगंज जिला मधेपुरा द्वारा दिनांक 12.08.2014 को इस न्यायालय में लाया गया है। वादी के अपील आवेदन पर अंगीकरण के विन्दु पर बहस हेतु 26.08.2014 की तिथि निर्धारित की गई। वादी पक्ष एवं राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा ने उपस्थित होकर बहस में हिस्सा लिया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना हुआ कि वाद की तथ्यगत स्थिति से अवगत होने के लिए निम्न न्यायालय का अभिलेख आवश्यक है। दूसरी तरफ विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि वादी अपना तथ्य रखने से मुकर रहे हैं और अपील वाद की प्रति भी राज्य को उपलब्ध नहीं कराया गया है, फिर भी बहस को तैयार हूँ। सुनवाई उपरान्त इस न्यायालय के डी0बी0नं0422 दिनांक 30-08-2014 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा से अभिलेख की मांग की गई तथा अपील वाद की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को उपलब्ध कराया गया। दिनांक 30.09.2014 को वादी की अनुपस्थिति के कारण अंगीकरण के विन्दु पर बहस नहीं हो सका जबकि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 348-2 दिनांक 02-09-2014 के द्वारा अभिलेख प्राप्त हो गया है। उसके लिए अंतिम मौका देते हुए 21-10-2014 की तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 21-10-2014 को प्रमंडलीय स्तर पर बैठक आयोजित हो जाने एवं दिनांक 09-12-2014 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हो जाने के कारण न्यायालय कार्य स्थगित करना पड़ा तथा सुनवाई की अगली तिथि 30-01-2015 निर्धारित की गई। दिनांक 30-01-2015 को उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं विस्तार से सुना गया। तत्पश्चात् अभिलेख आदेश पर रखा गया, जिसमें आज आदेश पारित किया जा रहा है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज के द्वारा प्रतिवेदित 05(पाँच) अनियमितता को आधार मानते हुए जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है, जबकि इसका गहन छानबीन किया जाना चाहिए था। अनियमितता निम्न प्रकार दर्शित की गई है :- 01. सूचना पट्ट एवं भंडार मूल्य प्रदर्शन तालिका संधारित नहीं था। 02. वितरण पंजी संधारित नहीं था। 03. उठाव किये गये खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया था। 04. दुकान में तराजु एवं बटखारा नहीं पाया गया। 05. उपभोक्ता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं पाया गया। उक्त अनियमितता के संदर्भ में अपना कारण पृच्छा अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष दिनांक 07.10.2013 को, दूसरा कारण पृच्छा 12.11.2013 को दाखिल किया गया था, जिसे असंतोषजनक बताकर अस्वीकृत कर दिया गया। पुनः जिला आपूर्ति पदाधिकारी मधेपुरा के पत्रांक 892/आ0, दिनांक 26.09.2013 के वादी के अनुज्ञप्ति को रद्द करने संबंधी प्राप्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रखंड	

विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुमारखंड से संयुक्त जांच करवायी गई। उक्त जांच में उपरोक्त वर्णित अनियमितता को सत्य ठहराते हुए अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जो विहित प्रावधानों के विपरीत है। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पुर्न वादी से कारण पृच्छा किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। इस तरह अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा वादी को उचित अवसर प्रदान नहीं किया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के विहित प्रावधान का उल्लंघन है। कमांक 01 से लेकर 05 तक अंकित अनियमितता पूर्णतया झूठा एवं मनगढ़ंत लगाया गया है, जबकि दूकान में सूचना पट्ट विधिवत संधारित था, माप तौल का यंत्र भी था, खाद्यान्न का भंडार पंजी एवं वितरण पंजी विधिवत संधारित किया हुआ था। जांच के दिन जो खाद्यान्न वितरित किया गया था, उसे भंडार पंजी में अवशेष शून्य नहीं दिखाया जा सका था। किसी भी उपभोक्ता से गलत व्यवहार नहीं किया गया है। इसलिए एकतरफा की गई कार्रवाई एवं पारित आदेश को निरस्त करते हुए वादी के अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल किया जाय।

राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि वर्णित पाँचों अनियमितताओं के संदर्भ में वादी पक्ष न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य दाखिल नहीं कर रहे हैं, केवल मनगढ़ंत बाते बता रहे हैं। वास्तविकता यह है कि वादी से दो बार कारण पृच्छा की गई है। जाँच पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाथिकारी, मुरलीगंज द्वारा दिनांक 19-01-2013 को किए गए जांच में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सूचना पट्ट संधारित नहीं था। माह अगस्त 2013 को खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई है :-

खाद्यान्न का प्रकार	आवंटन		उठाव		वितरण		अवशेष	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चवल
BPL	37.80	56.70	37.80	56.70	2.10	3.15	35.70	53.55
AAY	8.96	13.44	8.96	13.44	3.92	5.88	5.04	7.56

भंडार भौतिक सत्यापन क्रम में अवशेष खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। वितरण पंजी संधारित नहीं पाया गया। वितरित खाद्यान्न निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं दिया गया, जबकि इनके द्वारा 21 बी.पी.एल. उपभोक्ता को एवं 28 अन्त्योदय उपभोक्ता को खाद्यान्न वितरण किया गया है। इतना ही नहीं दुकान में माप तौल के लिए तराजू बटखारा नहीं रहना गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। इससे स्वतः स्पष्ट होता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा उपभोक्ता को कम खाद्यान्न देकर शेष खाद्यान्न को दुकान से डायभर्जन कर कालाबाजारी में बेच देते हैं, जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। जब वादी जांच पदाथिकारी के प्रतिवेदन से संतुष्ट नही थे तो अपने कारण पृच्छा में इसका प्रतिकार करते हुए आवंटन पंजी, भंडार पंजी एवं वितरण पंजी अनुज्ञापन पदाधिकारी को दिखाया जाना चाहिए था, जो नहीं दिखाया गया। उपभोक्ता द्वारा लगातार दिए जा रहे शिकायत आवेदन के आलोक में पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुमारखंड से संयुक्त जाँच करवाई गई। दोनों पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 30-06-2014 को जांच की है। उन्होंने अपने जांच प्रतिवेदन में अंकित किया है कि " विक्रेता मार्च एवं अप्रैल-14 का खाद्यान्न उठा किया है। भौतिक सत्यापन के लिए भंडार पंजी एवं वितरण पंजी विक्रेता देने से इन्कार कर गया। वे शराब का सेवन किए हुए था एवं कुछ देर बाद वहाँ से गायब हो गया। निरीक्षण कम में भंडार में खाद्यान्न नहीं था। उपस्थित उपभोक्ता श्री विशुनदेव ठाकुर, कंचन देवी, नायो देवी, राजेन्द्र मुखिया, कुशमा देवी, रूवेदा खातुन, रानी देवी और धाना देवी का बयान लिया गया, जिससे इसकी पुष्टि होती है कि उपभोक्ता को खाद्यान्न कम मात्रा या राशन कार्ड रहने के वावजूद भी नहीं देते हैं और शराब पीकर अभद्र व्यवहार करते हैं। अनुज्ञापन

19

पदाधिकारी द्वारा विक्रेता के विरूद्ध पाँचों अनियमिताऐं प्रमाणित पाते हुए अनुज्ञप्ति रद्द की कार्रवाई की गई है, जो विल्कूल ही वैद्य है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटियाँ नहीं है, जिसे बरकरार रखा जाय।

उभय पक्षों की दलील सुनने के पश्चात् निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में अनुज्ञापान पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा की गई कार्रवाई तथा संचित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा के इस तर्क से सहमत हूँ कि वादी खाद्यान्न का डायभर्जन कर कालाबाजारी करने में संलिप्त रहते हैं। प्रथम जाँच जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा किया गया है उसमें भंडार पंजी एवं वितरण पंजी का मिलान करने पर बी0पी0एल0 गेहूँ- 35.70 क्वीं0 चावल 53.55 क्वीं0, अन्त्योदय अन्न योजना का गेहूँ- 5.04 क्वीं0 एवं चावल- 7.56 क्वीं0 का अन्तर पाया गया है। जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में जो अवशेष खाद्यान्न दिखाया गया है, वह विक्रेता के भंडार में नहीं पाया गया है। उसी प्रकार जब संयुक्त जाँच प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कुमारखंड द्वारा किया गया तो जाँच हेतु आवंटन पंजी, भंडार पंजी एवं वितरण पंजी नहीं दिखाया गया है और न ही इसका कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सके। इस तरह विक्रेता द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है। यह सार्वजनिक वितरण (नियंत्रण) आदेश-2001 की धारा 03 (आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत् जी.एस.आर. नं0-630(ई) दिनांक 31-08-2001) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश- 2011 में विहित प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, जिसकी पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 203-2 दिनांक 05.07.2014 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0-164/07 को रद्द करने संबंधी निर्गत आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है, जिसे यथावत रखा जाता है तथा वादी के अपील आवेदन को इस निदेश के साथ निरस्त किया जाता है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस कर दें।

आदेश की प्रति उभय पक्ष/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज को भेजें तथा एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

23/2/15

स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

23/2/15
समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0 बी0 नं0 44 /विधि,मधेपुरा,दिनांक 25 /02/2015

प्रतिलिपिः उभय पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुमंडल पदा0, मधेपुरा के ज0वि0प्र0 अभिलेख अनुज्ञप्ति संख्या-164/2007 मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
विधि, मधेपुरा
23.2.15
23/2